न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 20/2023
जीसीएमएस नं. :– 2023/38

प्रार्थी :–
हनुमानराम पुत्र रामपाल जाति माली
निवासी अशोक नगर पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–
सरकार जरिये तहसीलदार
पीपाड़ शहर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :
श्री बक्तावरसिंह जाखड़ अधिवक्ता प्रार्थी।
तहसीलदार पीपाड़ शहर, सरकारी पैरोकार।

दर्ज तारीख :– 01.02.2023

आदेश

दिनांक : 09.09.2023

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम नानण की राजस्व सीमा में प्रार्थी की सयुक्त कब्जासुद जमीन आई हुई हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
407	105/8	0.2589 हैक्टयर	चाही चतुर्थ

उक्त वर्णित आराजी को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिस पर वादी एक मात्र खातेदार की हैसियत से काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कब्जासुद जमीन पर किसान केडिट कार्ड बनाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नकल मांगी इस पर पटवारी ने कहा कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम हड़मानराम दर्ज हैं। तथा प्रार्थी का नाम हनुमानराम है इसलिए प्रार्थी का नाम दुरूस्त करवाना पड़ेगा इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी से प्रार्थी का नाम हड़मानराम के स्थान पर हनुमानराम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया तब अप्रार्थी ने कहा कि उक्त दुरूस्ती श्रीमान न्यायालय हाजा से ही करवानी होगी इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पेश करना पड़ रहा हैं। प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक डायरी, परिवार कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि बने हुए है जियमें प्रार्थी का नाम हनुमानराम दर्ज है मात्र राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम इन्द्राज करते समय हड़मानराम दर्ज कर दिया । इस प्रकार प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में हनुमानराम के स्थान पर सेवन से त्रुटिवंश हड़मानराम दर्ज हो गया जिसकी जानकारी प्रार्थी को हाल ही में दिनांक 19.01.2023 को हल्का पटवारी नानण

से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी नकल मांगने पर हुई इसलिए प्रार्थी आज ही अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु माननीय न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र पेश कर रहा हैं। प्रार्थी का रेकर्डेड नाम हनुमानराम हैं तथा प्रार्थी को बोलचाल भाषा में हड़मानराम से जाना पुकारा जाता है इसलिए राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम हड़मानराम दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी अपना नाम दुरूस्त करवाकर हड़मानराम के स्थान पर हनुमानराम करवाना चाहता हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम हड़मानराम के स्थान पर दुरूस्ती फरमायी जाकर हनुमानराम दर्ज करने का आदेश फरमावें। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के नाम हड़मानराम पुत्र रामपाल के स्थान पर हनुमानराम पुत्र रामपाल इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक में अता फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी तहसीलदार ने निवेदन किया हैं कि हड़मानराम के स्थान पर हनुमानराम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी गयी जिसमें वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम नानण की सीमा में स्थित खसरा नम्बर 105/8 कुल रकबा 0.2589 हैक्टयर में दर्ज नाम हड़मानराम के स्थान पर हनुमानराम किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार ने भी इस सम्बन्ध में अनापति जाहिर की हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम नानण की सीमा में स्थित खसरा नम्बर 105/8 रकबा 0.2589 हैक्टयर में दर्ज नाम हड़मानराम के स्थान पर हनुमानराम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 09.09.2023 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर